आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

जगदेव राम, पिता–स्व0 राम किशुन राम, ग्राम–हुड़हुड़ू, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग द्वारा अंचल–सदर, ग्राम–हुड़हुड़ू, थाना नं0–147, खाता संख्या–67, प्लॉट संख्या–683, रकवा–02 डी0 भूमि बॉबी रानी पति–विजय रविदास, ग्राम–हुड़हुड़ू, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 383/2022 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता बॉबी रानी एवं विक्रेता जगदेव राम अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा लगभग 58 डी0 भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं बैजनाथ दुसाध वगै0 के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। पंजी–II के पृष्ट सं0 171/I पर विदेशी वगै0 के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है। प्रतिवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा भी संलग्न किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता जगदेव राम का अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र संख्या JHLRCO/2022/153088 दिनांक–11.04.2022 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण–पत्र संख्या JHCSC/2022/34118 दिनांक–11.04.2022 और क्रेता बॉबी रानी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र संख्या JHRC/2019/955542 दिनांक–05.12.2019 एवं अंचल अधिकारी, कटकमदाग, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण–पत्र संख्या JHCSC/2020/69885 दिनांक–04.01.2021 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर

General Secretary

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-हुड़हुड़ू, थाना नं0-147, खाता संख्या-67, प्लॉट संख्या-683, रकवा-02 डी0 भूमि भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.03 15:16:19 +05:30
Location: 192.168.100.2